मु.नं.–54 / 2021 GCMS ID-2021/89 ता.रजु–02.07.2021

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

भूपेश बैनीवाल पुत्र खेमसिंह बैनीवाल ग्राम व पोस्ट मण्डावरा, तहसील हिण्डौन जिला करौली – अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन सिटी – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय दिनांक–26.08.2021

1. वैश्विक महामारी कोविड–19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने की व्यवस्थाओं में एवं प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपील की सुनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ।
2. अपीलार्थी दिनांक 14.07.2021 को उपस्थित। उसके बाद दिनांक 22.07.21, 29.07.21, 04.08.21, 12.08.21, 25.08.21, 26.08.21 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
3. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर ''राजस्थान सम्पर्क पोर्टल परिवाद सं. 01210309263411 व परिवाद अनिरुद्ध पुत्र खेमसिंह राशन कार्ड संख्या 007655201120 को खाद्य सुरक्षा सूची में से नाम हटाने व वसूली के लिये एफ.आई.आर. दर्ज करवाने का दिनांक 16.04.2021 को परिवाद दिया तथा ई–मेल किया था। उसमें क्या कार्यवाही की गई है, इसकी सम्पूर्ण जानकारी दी जावे। परिवाद संलग्न है।'' की सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
4. प्रत्यर्थी ने अपीलोत्तर पेश कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना पत्रांक 1052 दिनांक 08.07.2021 द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। सूचना की प्रति पत्र के साथ संलग्न प्रेषित की है।
5. जिला रसद अधिकारी करौली ने अवगत करवाया है कि उपखण्ड अधिकारी हिण्डौनसिटी से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक खाद्य सुरक्षा / 2021 / 1617 दिनांक 28.06.2021 के अनुसार श्री अनिरुद्ध बेनीवाल पुत्र श्री खेमसिंह निवासी मण्डावरा तहसील हिण्डौन राशन कार्ड संख्या 007655201120 के स्वामित्व में लघु कृषक सीमा से अधिक कृषि भूमिपाये जाने खाद्य सुरक्षा योजना की पात्रता नहीं रखता है, प्रार्थी को खाद्य सुरक्षा से निष्कासित किया गया है, रिकवरी नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 08.07.2021 को चालान संख्या 51252864 द्वारा रिकवरी राशि 15615 रुपये बजट मद 1475–00–800–04–01(विविध) में जमा करवा दी गई है। अनापत्ति प्रमाण संलग्न पेश किया है।
6. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
7. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के शिकायती पत्र पर कार्यवाही की जाकर अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अन्यथा कोई प्रतिकार पेश नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी को बार–बार अवसर दिये जाने एवं उसके उपस्थित नहीं आने से यह विदित होता है कि अपीलार्थी उक्त सूचना से संतुष्ट है। अतः हम अपील अपीलार्थी खारिज किया जाना उचित समझते हैं।
8. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
9. निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्षकारान को प्रेषित हो।
10. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
11. निर्णय आज दिनांक 26.08.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, करौली